राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.2502/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2020 रायपुर, दिनांक20/10/2020

प्रति,

1. **कलेक्टर सह अध्यक्ष,**
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह सदस्य सचिव,**
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आई.एम.आई.एस. में सामुदायिक शौचालयों की प्रविष्टि हटाये जाने के संबंध में प्रोटाकॉल।

संदर्भ :– अवर सचिव, भारत सरकार, जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पत्र क्र एस–17011/1/2015–एसबीएम नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को हटाये जाने संबंधी निरंतर मांगी की जाती रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से हमारे द्वारा निरंतर समन्वय किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप सामुदायिक शौचालयों के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाये जाने में एकरूपता लाने हेतु जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एक प्रोटाकॉल निर्धारित किया गया है जिसके तहत निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. आपके द्वारा वर्षवार सामुदायिक शौचालयों की प्रविष्टि आई.एम.आई.एस. से हटाये जाने संवंधी स्वहस्ताक्षरित एक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करना होगा। प्रस्ताव के साथ ही आपकी ओर से एक अंडरटेकिंग भी दी जानी है, जिसमें यह वर्णित हो कि जिन सामुदायिक शौचालयों की प्रविष्टि को हटाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है उन सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में किसी भी प्रकार की राशि का उपयोग नहीं किया गया है एवं न ही इस बावत् कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है। अंडरटेकिंग का प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है।

क्रमश : 2

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

2. आपके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों एवं अंडरटेकिंग के उपरांत आई.एम.आई.एस. में सामुदायिक शौचालयों की प्रविष्टि को हटाये जाने हेतु एक माड्यूल प्रदान किया जावेगा।

3. दिये गये माड्यूल में मार्किंग किये जाने के उपरांत आपके द्वारा विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जाना होगा।

4. ध्यान रहे कि जिन गांवों में सिर्फ एक सामुदायिक शौचालय की प्रविष्टि की गई है उन्हें हटाने के लिए तर्कसंगत एवं न्यायोचित कारण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। तदोपरांत सामुदायिक शौचालय की प्रविष्टि को आई.एम.आई.एस. से हटाया जा सकेगा।

5. इस संबंध में सभी प्रतिवेदन आई.एम.आई.एस. में अपडेटेड डाटा के साथ दृष्ट होगीं।

अतः आप सभी उपरोक्त प्रोटोकॉल के क्रम में अपने प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र अतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(धर्मेश कुमार साहू)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 2503/मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2020, रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि :

1 **निज सचिव,** प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सामुदायिक शौचालयों की प्रविष्टि को हटाने संबंधी अंडरटेकिंग पत्र प्रारूप

(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जावे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई.एम.आई.एस. में प्रविष्ट....................सामुदायिक शौचालयों को हटाने की जो मांग की गई है, उन सामुदायिक शौचालयों पर किसी भी प्रकार का व्यय प्रतिवेदित नहीं किया गया है एवं इस संबंध में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को नहीं भेजा गया है।

(हस्ताक्षर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकार के नाम एवं पदमुद्रा सहित)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner